

29.07.2024

पवावली आज पेश हुई। प्राची अधिवक्ता की नगरेन्द्र मैडरिया उपस्थित पेरौठार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस हुई। प्राची अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में लखित तथ्यों को इतिहास रखते हुए प्राची अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अध्याय अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार देलपुर के आदेश को PJKS/2023/29 दिनांक 28.08.2023 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में उच्च विलम्ब की अपाधि को उद्घोषित किया जाता है विषय सारे इजलास सुनाया गया। पवावली फैसल नुमाय होकर नम्बर से उम है एवं मूल पवावली के साथ नली है।

(शुभम चोपड़ा)
जिला कलेक्टर, सिरोहा